उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार– 249404

Website-www.ukpsc.gov.in

दूरभाष नं0–01334–244143

विज्ञापन संख्या :: A-1/02/E-2/CJ (JD)/2018-19

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा–2018

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	05 अक्टूबर, 2018
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	::	29 अक्टूबर, 2018 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क – Net Banking/Debit Card/Credit Card or CSC Connect द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	29 अक्टूबर, 2018 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि **दिनांक 29 अक्टूबर, 2018** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।

विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया: अभ्यर्थी की होगी।

(3) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / अनुभव / आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना / लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(4) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगें।

(6) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card or CSC Connect के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन / परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(8) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें।

(9) नये यूजर www.ukpsconline.in पर जाकर सर्वप्रथम स्वयं को **OTR में पंजीकृत** करें। (OTR) में रजिस्टर करने हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या www.ukpsconline.in पर उपलब्ध हैं)।

(10) अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए **परिशिष्ट–1**, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–2** का अवलोकन करें।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा–2018 हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर **दिनाँक 29 अक्टूबर, 2018** तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–1"** में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। रिट याचिका संख्या–163 (एस0/बी0) ऑफ 2007 मलिक मजहर सुल्तान बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य के मामले में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान" के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा।

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. रिक्तियों का विवरण : कुल पद–14 (अनारक्षित) (04 पद उत्तराखण्ड महिला एवं 01 पद उत्तराखण्ड भूतपूर्व सैनिक हेतु)

नोट– रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

3. पद का स्वरूप :– राजपत्रित।

4. वेतनमान एवं पेंशन :– रू0 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770 अंशदायी पेंशन योजना।

5. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को –

(क) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक।

(ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिये।

(ग) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होना चाहिये।

5. **Essential Educational Qualifications :-** A candidate for direct recruitment to the service be -

(a) A Bachelor of law from a University established by law in Uttarakhand or by other University of India recognized for this purpose by the Governer.

(b) Must possess thorough knowledge of Hindi in Devnagri script.

(c) Basic knowledge of Computer Operation.

6. आयु :– आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2018 है। इस तिथि को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जनवरी, 1983 से पूर्व व 1 जनवरी, 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए।

7. अधिकतम आयु सीमा में छूट:– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

8. आरक्षण :– (अ) उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र दिनांक 12.10.2011 के आधार पर निःशक्तजन के लिए उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) हेतु पद चिन्हित नहीं हैं। इसलिये निःशक्तजन के लिये कोई पद आरक्षित नहीं रखा गया है।

9. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

11. **राष्ट्रीयता :** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी –
(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्व बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रिकी देश, केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रिकी देशों से प्रवर्जन किया हो) :

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए भी उप–पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित हैं तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :– ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

12. **चरित्र :–** सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी विषय में स्वयं समाधान करेगा।
टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से संबंद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत या भारत अथवा किसी अन्य राज्य की विधिज्ञ परिषद् (बार कॉउन्सिल) द्वारा अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से प्रतिबन्धित या नैतिक अधमता के लिए भारतीय दण्ड संहिता अथवा तत्समय प्रवृत किसी अवधि के अधीन सिद्ध दोष या कारावास का दण्ड पाये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

13. **वैवाहिक प्रास्थिति :–** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

14. **शारीरिक योग्यता :–** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे आयुर्विज्ञान परिषद् का स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

15. आवेदन कैसे करें :– इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

आनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	**29 अक्टूबर, 2018 (11:59:59 बजे तक)**
परीक्षा शुल्क– Net Banking/Debit Card/ Credit Card or CSC Connect द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	**29 अक्टूबर, 2018 (11:59:59 बजे तक)**

16. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या www.ukpsconline.in पर जायें।

(2) नये यूजर www.ukpsconline.in पर जाकर सर्वप्रथम स्वयं को **OTR में पंजीकृत** करें। (OTR) में रजिस्टर करने हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या www.ukpsconline.in पर उपलब्ध हैं।

(3) पूर्व में पंजीकृत यूजर अपने **यूजर आई0 डी0** एवं **पासवर्ड** से अपने Account में लॉग इन करें।

(4) लॉग इन करने के उपरान्त अभ्यर्थी **"Online Application"** पर क्लिक करें।

(5) आयोग द्वारा जारी समस्त विज्ञापन प्रदर्शित हो जायेंगे। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन**: A-1/02/E-2/CJ (JD)/2018-19** के सम्मुख **"Click here to Apply"** पर क्लिक करें।

(6) अगर अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण करता है तो अभ्यर्थी द्वारा OTR पर अंकित की हुई जानकारी स्वतः ही **आवेदन फार्म** पर प्रदर्शित हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त **आवेदन फार्म** को **विज्ञापन के शर्त के अनुसार** सही–सही भरें एवं फार्म पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। असत्य सूचना देने पर अभ्यर्थी का **अभ्यर्थन निरस्त** माना जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा कराये जाने वाली **आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित** कर दिया जायेगा।

(7) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी **प्रविष्टियों में शंका होने** पर अथवा किसी **त्रुटि की** दशा में अभ्यर्थी अपने OTR पर जाकर उक्त प्रविष्टियों को ठीक करवा लें एवं पुनः आवेदन करें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में **Submit Button** पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी **सूचनाओं को ही अन्तिम माना** जायेगा।

(8) **"You have successfully submitted your application for Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (JD) Examination-2018"** का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

(9) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **"My Application"** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **"Please select year"** से वर्ष एवं **"Select Post Name"** से पद **"Select"** करें।

(10) प्रदर्शित हुए आवेदन पर Tick कर उसके सम्मुख **"Pay Now"** पर क्लिक कर अपना परीक्षा शुल्क जमा करें।

(11) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो **त्रुटि होने पर** अपना **आवेदन रद्द (cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं। किन्तु आवेदन **रद्द (cancel)** करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा।

(12) अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

17. शुल्क :– प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card or CSC Connect के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Aplication Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	सामान्य	रू0 150	रू0 35.40	रू0 185.40
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 35.40	रू0 185.40
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 35.40	रू0 95.40

नोट :– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**– सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

18. मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के विषय में कुछ सूचनाएं :–

(1) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक परीक्षा एवं "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(3) THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS) RULES-2013 के CHAPTER-IV के बिन्दु संख्या– 22(9) में निम्नवत् उल्लेख है :–

"The Candidates who fail to produce required certificate/certificates on the date of interview (or as directed by the Commission) shall not be allowed to appear at the interview and their candidature shall stand rejected"

उक्त के क्रम में किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व तक ऑनलाईन आवेदन में दावित किये गये समस्त प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

(4) साक्षात्कार से पूर्व किसी भी स्तर पर आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की

सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा–

(i) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा **'अबस'** एवं पता के स्थान पर ABC अथवा **'कखग'** लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

(ii) प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(iii) अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) "क्रास" करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

(v) प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर–पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

(1) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(3) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(4) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिहन/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(5) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(6) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(7) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(8) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(9) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।